11

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1)आ0प्र0एवंसहा./सामा0/2019/11180-101 जयपुर,दिनांक 17 12.2019

जिला कलक्टर,
अजमेर, बासंवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बारां,
बून्दी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़,
जोधपुर, हनुमानगढ़, कोटा, करौली, नागौर,
पाली, प्रतापगढ़, जैसलमेर, सवाईमाधोपुर,
टोंक, उदयपुर, राजस्थान।

विषयः—खरीफ फसल 2019 (सम्वत् 2076) में खराबा वाले पात्र काश्तकारो को संशोधित प्रपत्र समस्त इन्द्राज कर कृषि आदान—अनुदान वितरण करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विभागीय दिशा निर्देश क्रमांक 9656—86 दिनांक 14.11.2019 बिन्दु संख्या 4 में वर्णित कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र कृषकों की सूची के स्थान पर संशोधित सूची का प्रारूप तैयार किया गया है। फसल खरीफ 2019 (सम्वत् 2076) में बाढ़ व सूखे से प्रभावित पात्र काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु समस्त सूचना निम्न प्रपत्र में अंकित की जावें:—

TEHSIL	VILLAGE	NAME	FATHER NAME	DAMAGE SOWN AREA >= 33% (In h.a.)	IFSCCODE	ACCOUNT	AADHAR	MOBILE	CATEGORY	RELIEF CATEGORY

नोटः—

- **उक्त प्रपत्र में किसी भी कॉलम अथवा नाम में किसी प्रकार का संशोधन नही किया जावे।**
- **इस प्रपत्र को केवल अंग्रेजी में ही तैयार (एन्ट्री) की जावे।**
- **इस प्रपत्र को तैयार करते समय किसी भी कॉलम संख्या 1 से 11 में Special Charactor न डाले जावे।**
- **कॉलम संख्या 1 में जिले की तहसील का नाम दर्ज करना है, जिस तहसील में काश्तकार की फसल का खराबा हुआ है।**
- **कॉलम संख्या 2 में जिले की गांव का नाम दर्ज करना है, जिस गांव में काश्तकार की फसल का खराबा हुआ है।**

कार्यालय का पता— खाद्य भवन, भू-तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर—302005, दूरभाष नं. 0141—2227080 फैक्स नं. 0141—2227230 ई—मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

सामान्य

Scanned by CamScanner

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

- कॉलम संख्या 3 में काश्तकार का नाम जिसकी फसल खराब हुई है।
- कॉलम संख्या 4 में काश्तकार के पिताजी का नाम दर्ज करना है।
- कॉलम संख्या 5 में काश्तकार द्वारा बोया गया क्षेत्रफल (हेक्टर में) जिसमें 33 प्रतिशत या उससे अधिक का खराबा हुआ है।
- कॉलम संख्या 6 में काश्तकार के बैंक खाते का IFSC Code जिस बैंक में उसका बैंक खाता है।
- कॉलम संख्या 7 में काश्तकार के बैंक खाते का विवरण जिस बैंक में उसका बैंक खाता है।
- कॉलम संख्या 8 में काश्तकार के 12 नम्बर का आधार नम्बर दर्ज किया जावेगा।
- कॉलम संख्या 9 में काश्तकार के मोबाईल नम्बर जो उसके खाते में दर्ज है।
- कॉलम संख्या 10 में काश्तकार द्वारा बोयी गयी फसल खराब हुई है उसका कोड दर्ज किया जावे। जैसे R, I, P, (R-Rainfed, I-Irrigated, P-Perennial)
- कॉलम संख्या 11 में 33, 50 या 75 में से कोई एक कोड डाले जावे। इनके अलावा इस कॉलम में और कोई इन्द्राज नही किया जावे।

(1) 33 – (33 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम खराबा)
(2) 50 – (50 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम खराबा)
(3) 75 – (75 प्रतिशत से अधिक खराबा)

अतः उक्तानुसार प्रभावित काश्तकारों का समस्त रिकार्ड इंद्राज करते हुए DMIS सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान वितरण की कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

भवदीय

17/12/19

शासन सचिव

Scanned by CamScanner